प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,महानिदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–प0क0/08–प्रशि0/आ0यो0/दिशा–निर्देश/2016–17/ **दिनांकः 22- 09.2016**

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2016–17 हेतु आशा योजना के सम्बन्ध में दिशा –निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है। आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं–

1. आशा प्रतिपूर्ति राशि

आशा द्वारा किये जा रहे कार्यो के आधार पर विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है। आशाओं को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशियों में समय–समय पर वृद्धि की जा रही है। प्रतिपूर्ति राशियों में ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यों को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेंगी तथा समुदाय को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इन गतिविधियों को योजनाबद्व तरीके से कार्यान्वित किये जाने एवं अभिलेखीकरण हेतु इस वर्ष आशाओं को ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण दिया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें आशा अपने क्षेत्र में किये जाने वाले सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियें एवं सेवाओं का उल्लेख करेगी। जिसकी सहायता से आशा के कार्य के सत्यापन में मदद मिलेगी एवं आशा को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में रू0 1000 प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रतिपूर्ति राशि भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार चिन्हित गतिविधियों हेतु अनुमन्य है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्न तालिका में दी गयी है–

क्र. सं.	एफ.एम. आर. कोड	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रू0 में)
1	B1.1.3.6.1	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने	200
		ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रतिभाग करने	150
		आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय	150
		वर्ष के आरम्भ में एवं 6 माह के पश्चात परिवारों की सूची तैयार करने पर तथा मासिक रूप से अद्यतन करने पर	100
		ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर	100
		टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100
		ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने	100

		पर	
		योग्य दम्पत्तियों का सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100
नियमित गतिविधियों के लिए कुल प्रतिपूर्ति राशि			**1000**

1.1 नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि हेतु दिशा–निर्देश :–

- **वर्ष के आरम्भ में एवं 6 माह के पश्चात परिवारों की सूची तैयार करने पर तथा मासिक रूप से अद्यतन करने पर** – उक्त मद के अंर्तगत ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग को प्रत्येक माह अद्यतन करना होगा। कार्यक्षेत्र में यदि नये परिवार जुड़े हैं अथवा वर्तमान परिवारों में जन्म/मृत्यु/विवाह हुआ हो तो इनका मासिक आधार पर अंकन किया जाना होगा। इस कार्य हेतु आशा को रू0 100 प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है।

  आशा को प्रत्येक 6 माह में अपने कार्यक्षेत्र के समस्त परिवारों का क्षेत्र भ्रमण करके पंजिका के सम्बन्धित भाग में ग्राम सर्वे तालिका में सूचनाएं अंकित/अद्यतन की जानी होंगी।
- **ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर–** आशा को अपने सूचकांक पंजिका को मासिक आधार पर अद्यतन रखना होगा तथा अपने कार्यक्षेत्र में समस्त जन्मों एवं मृत्युओं के पंजीकरण में सहयोग प्रदान करना। इस कार्य हेतु आशा को रू0 100 प्रति माह प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है।
- **टीकाकरण हेतु ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर–** पंजिका में सम्बन्धित भाग में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अपेक्षित लाभार्थियों (टीकाकरण हेतु बच्चों, गर्भवती महिलाओं) की सूची तैयार करनी है। इस हेतु आशाओं को प्रतिमाह रू0 100 प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है। आशाओं द्वारा सही एवं पूर्ण प्रकार से ड्यू लिस्ट बनाने पर ड्राप आउट एवं लेफ्ट आउट बच्चों, गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में मदद मिलेगी जिससे उनको समय–समय पर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। ड्यू लिस्ट हेतु अल्पसेवित परिवारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर–** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। आशाओं से अपेक्षा है कि सभी गर्भवती महिलाओं की जल्द से जल्द पहचान कर, न्यूनतम 3 प्रसव पूर्व जाँचें करवाये, संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करें एवं प्रसव पश्चात देखभाल करें जिससे क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। पंजिका के सम्बन्धित भाग में गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव सेवा एवं टीकाकरण सम्बन्धी विवरणों को अंकित किया जाना है। इस हेतु आशाओं को प्रतिमाह रू0 100 प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। आशाओं द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार की जानी है। इसके अंतर्गत आशा गर्भवती महिलाओं से संपर्क कर उनका पंजीकरण कराना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रसव स्थान का चिन्हीकरण, परिवहन की व्यवस्था, प्रसव के समय सहयोग करने वाले परिवार के सदस्यों का चिन्हीकरण का विवरण ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के सम्बन्धित भाग में अंकित किया जाना है।
- **योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर–** आशा, अपने ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के सम्बन्धित भाग जो परिवार नियोजन के लिए योग्य दम्पत्तियों के विवरण से सम्बन्धित है, में क्षेत्र में रहने वाले समस्त योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाकर अद्यतन करेगी। इस कार्य हेतु रू0 100 प्रतिमाह प्रावधानित किया गया है।
- **ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर–** आशा को अपने क्षेत्र में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने, स्वयं उपस्थित रहने हेतु रू0 200 प्रतिमाह प्रावधानित किया गया है।
- **ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक के आयोजन में सहयोग करने हेतु–** ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक आयोजित किये जाने में आशा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आशा बैठक से एक दिन पूर्व समस्त सदस्यों को बैठक में

प्रतिभाग किये जाने हेतु सूचित करेगी तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण से सम्बन्धित मुद्दों को समिति के समक्ष चर्चा करने हेतु प्रस्तुत करेगी।

यह सम्भव है कि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के अंतर्गत एक से अधिक आशायें कार्यरत हों, इस स्थिति में आशा अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु सूचित करेगी। समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जायेगी व ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के अंतर्गत आने वाली समस्त आशाओं को बैठक में सहयोग व प्रतिभाग करने पर रू0 150 दिया जायेगा।

- **आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक क्लस्टर बैठक में भाग लेने हेतु–** आशाओं की मासिक क्लस्टर बैठकों का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाता है। इस बैठक में प्रतिभाग करने पर आशाओं को प्रतिमाह रू0 150 प्रतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- यदि किसी कारण से आशा उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में से किसी एक या अधिक गतिविधि को पूर्ण नहीं कर पाती तो शेष गतिविधियों में आशा को भुगतान किया जायेगा। उदाहरण– यदि किसी कारण वश आशा के क्षेत्र में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक नहीं हो पाती है एवं आशा द्वारा अन्य गतिविधियाँ की गयी हैं तो उस दशा में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक के आयोजन में सहयोग करने हेतु अनुमोदित राशि रू0 150 का भुगतान नहीं किया जायेगा।

आशा द्वारा नियमित गतिविधियों के लिए दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम, पल्स पोलियो, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि में भी आशा हेतु कार्य के आधार पर प्रतिपूर्ति राशियों का प्राविधान हैं। जिसके विस्तृत दिशा–निर्देश सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित किये जा रहे हैं।

1.2 आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा–निर्देशः–

1.2.1 आशा द्वारा विगत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की गयी समस्त गतिविधियों का विवरण आशा पेमेन्ट वाउचर में अंकित कर माह की 25 तारीख तक क्षेत्रीय ए.एन.एम. को उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए, साथ ही यह ए.एन.एम. का भी दायित्व होगा कि माह कि 25 तारीख तक अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं से वाउचर एकत्र कर लें।

1.2.2 ए.एन.एम. द्वारा माह की 30 तारीख तक वाउचर में अंकित गतिविधियों का सत्यापन कर आशा संगिनी के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर को उपलब्ध करा देना चाहिए। आशा संगिनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके क्षेत्र की सभी सक्रिय आशाओं के सत्यापित वाउचर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के पास जमा करा दें। आशा संगिनी अपने क्षेत्र की आशाओं के वाउचर का विवरण अपने आशा संगिनी पंजिका में अंकित करेगी। यदि किसी ए.एन.एम. अथवा आशा द्वारा वाउचर नहीं जमा कराये गये हैं तो ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर दूरभाष द्वारा उस आशा/ए.एन.एम. से संपर्क कर सत्यापित वाउचर प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ए.एन.एम. द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आशा द्वारा किये गये कार्यो का नियमित सत्यापन कर ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका में अंकित कर देना चाहिए, इससे माह के अन्त में वाउचर के सत्यापन में आसानी होगी। यदि ए.एन.एम. अपने सम्बन्धित आशाओं द्वारा किये गये कार्यो का सत्यापन माह में होने वाली मासिक बैठक से पूर्व ही कर लेती है, तो ब्लॉक मुख्यालय पर होने वाली मासिक बैठक में आशाओं के क्षमता निर्माण हेतु व अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा।

1.2.3 उपरोक्त संकलित वाउचर के आधार पर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा एक्सेल शीट तैयार की जायेगी जिसे संकलित वाउचर के साथ अगले माह की 2 तारीख तक ब्लॉक एकाउण्ट मैनेजर को भुगतान हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा। ब्लॉक स्तरीय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि अगले माह की 5 तारीख तक आशा के खाते में PFMS वेब पोर्टल के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरित की जाये। ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर यह भी सुनिश्चित करेगा

कि समस्त वाउचर भुगतान के पश्चात ब्लॉक आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर पर अंकित कर दिया जाये।

1.2.4 जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद के समस्त ब्लॉकों में आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर उपलब्ध है एवं नियमानुसार वाउचरों का अंकन नियमित रूप से किया जा रहा है।

1.2.5 ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा आशा भुगतान की संकलित सूचना माह की 10 तारीख तक प्रपत्र 3 पर जिला स्तरीय आशा नोडल अधिकारी/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर को उपलब्ध करा दी जाये एवं आशा नोडल अधिकारी/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा प्रपत्र 4 पर माह की 12 तारीख तक राज्य स्तर (राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई) को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

1.2.6 जिला स्तर पर भी आशा प्रतिपूर्ति भुगतान राशि के विवरण को कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जाये जिसमें ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप सम्बन्धित माह में आशाओं को भुगतान की गयी कुल प्रतिपूर्ति राशि का विस्तृत विवरण प्रपत्र–3 के अनुरूप अंकित की जाये।

1.2.7 अगले माह की आशाओं की मासिक क्लस्टर बैठक में आशाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत वाउचर के सापेक्ष उनके खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की सूचना ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा सूचनापट्ट पर चस्पा की जाये।

1.2.8 ब्लॉक स्तर पर आशाओं को किये गये भुगतान राशि को मासिक आधार पर आशा डाटा बेस में अंकन किया जाये। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उक्त अंकन में आशा को माह में प्राप्त होने वाली समस्त प्रतिपूर्ति राशियों को सम्मिलित किया जाये।

1.2.9 जिन आशाओं ने कम से कम प्रथम 7 दिन एवं 12 दिन का प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है अथवा जिन आशाओं ने 8 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो उन्हीं आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि देय होगी।

1.2.10 आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यो के लिये ही भुगतान किया जाये।

1.2.11 भुगतान के उपरान्त सम्बन्धित विवरण ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" में सुरक्षित रखा जाये। साथ ही मास्टर पेमेन्ट की Soft Copy कम्प्यूटर में Excel Sheet में भी बना ली जाये, जिससे अनुश्रवण में आसानी हो। निर्धारित वाउचर एवं प्रपत्रों के प्रारूप में किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाये, ऐसा करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

1.2.12 ब्लॉक स्तर के "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" के माध्यम से प्रभारी चिकित्साधिकारी/ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा मासिक आधार पर अच्छा कार्य कर रही आशाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे अन्य आशाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन गतिविधियों/कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिसमें आशा द्वारा अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। आशा नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जायेगी एवं इन कारणों को दूर करने के उपाय किये जायेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ऐसी आशाओं की क्षमतावर्द्धन हेतु आशाओं की मासिक क्लस्टर बैठक में चर्चा की जानी चाहिए।

1.2.13 **किसी भी परिस्थिति में आशाओं का भुगतान लंबित न रखा जाये।** जनपद में आशा भुगतान हेतु जनपदीय आशा नोडल अधिकारी (ACMO RCH) एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे.। आशा भुगतान की प्रतिमाह जनपद स्तर पर समीक्षा की जाये एवं इसे जिला स्वास्थ्य समिति के नियमित एजेण्डा में भी सम्मिलित किया जाये। किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बजट उपलब्ध होने पर भी आशा को नियमित भुगतान न होने की दशा में प्रभारी चिकित्साधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।

1.2.14 यदि किसी आशा को भुगतान प्रपत्र भरने में कोई समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित आशा संगिनी/ए0एन0एम0/ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर प्रपत्र भरने में आशा को मार्गदर्शन देना सुनिश्चित करें।

1.2.15 आशा भुगतान अभिलेखों को ऑडिट एवं अन्य जाँच हेतु ब्लॉक एकाउण्ट मैनेजर/ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा सुरक्षित रखा जाये ताकि किसी भी समय ऑडिटर/किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इन अभिलेखों का सत्यापन किया जा सके।

1.2.16 प्रभारी चिकित्साधिकारी अथवा किसी अन्य सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा यदि आशा भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से अनियमितता की जाती है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर ली जाये।

1.3 अनुश्रवण एव मूल्यांकन

1.3.1 जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारी द्वारा नियमित रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उपलब्ध "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" एवं आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर अपने पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" एवं आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए।

1.3.2 इसी प्रकार आशा मेन्टॉरिंग समूह के सदस्यों द्वारा भी अपने भ्रमण के दौरान आशा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान की जानकारी प्राप्त किया जाना चाहिए जिससे वे आशा मेन्टॉरिंग समूह की बैठक में सदस्यों को अवगत करा सकें।

2. आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु आशा वाउचर एवं आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर हेतु दिशा-निर्देशः-

वर्ष 2016-17 में आशाओं के भुगतान हेतु वाउचर एवं ब्लॉक स्तरीय आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर उपलब्ध कराने एवं रख-रखाव हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं-

3.1 आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु वाउचर की बुकलेट छपवाकर प्रत्येक आशा को वितरित की जानी हैं। वाउचर का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

3.2 प्रत्येक बुकलेट में वाउचर्स के दो प्रतियों (डुप्लीकेट कॉपी के 15 सेट अर्थात 30 पन्ने) की बुकलेट तैयार की जानी है। इस हेतु अधिकतम रू0 25 प्रति बुकलेट प्रति आशा के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। बुकलेट का मानक निम्नवत् होंगे।

क्र0सं0	उपयोग	जी0एस0एम0	लम्बाई X चौड़ाई
1	वाउचर बुकलेट	57	लम्बाई 26 से.मी. चौड़ाई 21 से.मी.

3.3 बुकलेट के प्रति वाउचर की दोनों प्रतियां 2 रंगों में छपवाई जाये। प्रथम पन्ना सफेद रंग का दूसरा पन्ना गुलाबी रंग का हो सकता है।

3.4 इस वर्ष के वाउचर में प्रतिपूर्ति राशि हेतु अनुमोदित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य एफ.एम.आर. कोड्स के अंतर्गत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि को भी अंकित किया गया है। इसका उद्देश्य आशा को वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुमोदित आर.ओ.पी. के अनुसार प्रतिपूर्ति राशि हेतु निर्धारित समस्त गतिविधियों से अवगत कराना है। इससे आशाओं में वर्णित गतिविधियों में कार्य करने के प्रति तत्परता आयेगी।

3.5 वर्तमान वित्तीय वर्ष के वाउचर शीघ्र अतिशीघ्र छपवाकर भुगतान हेतु प्रयोग में लाये जायें।

3.6 इस हेतु आशा प्रतिपूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 1.2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3.7 आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि की पूर्ण जानकारी हेतु ब्लॉक स्तर पर आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर का रख-रखाव अनिवार्य है। प्रत्येक ब्लॉक के लिए अधिकतम रू0 150 प्रति रजिस्टर प्रति ब्लॉक के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। रजिस्टर का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। रजिस्टर को शीघ्र छपवाकर प्रत्येक ब्लॉक को उपलब्ध करवाया जाये।

3.8 आशाओं को उनके द्वारा किये गये कार्यो के अभिलेखीकरण के लिए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु **FMR Code B1.1.3.6.1** के

अंतर्गत रजिस्टर के मुद्रण हेतु रू0 174.50/– आशा की दर से धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा रही है। ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का मुद्रण जनपद स्तर पर महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या प0क0/08–प्रशि0/आ0यो0/दिशा–निर्देश/2015–16/7009–74 दिनांक 22.09.2015 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

4. आशा ड्रग किट दिये जाने हेतु दिशा निर्देश–

आशा ड्रग किट का उद्देश्य प्रदेश की सभी आशाओं को सामान्य रोगों के प्रारम्भिक लक्षणों से राहत दिलाने के लिए एवं रोग की आरम्भिक उपचारात्मक देखभाल प्रदान करने एवं प्रशिक्षण के दौरान सीखी गयी प्रक्रिया के अनुसार रोग का प्रबन्धन करने के लिए ड्रग किट दी गयी है। जिसके द्वारा आशा त्वरित व सीमित उपचार हेतु आवश्यक दवाईयाँ निःशुल्क वितरित करेगी।

भारत सरकार द्वारा आशा ड्रग किट दिये जाने के सम्बन्ध में जारी मॉडल दिशा–निर्देशों के क्रम में निम्न औषधियों को आशाओं को दिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

आशा की दवा किट में रखी वस्तुओं की सूची

क्र.स.	दवा/सामग्री	1 माह के लिए अनुमानित आवश्यकता
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डीडीके किट	3
2	पैरासीटामाल टैबलेट	20
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां	400
4	डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट	20
5	जिंक टेबलेट	50
6	ओआरएस के पैकेट	10
7	निश्चय किट	3
8	कण्डोम (3 का पैकेट)	30
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)	10
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली	10
11	साबुन	1
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)	1
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब	1
14	पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर	2

उपरोक्त तालिका में वर्णित सामग्रियों एवं उनकी मात्रा में स्थानीय आवश्कताओं एवं सामग्री की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मॉड्यूल 6–7 प्रथम चरण प्रशिक्षण के पश्चात गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल करने वाली आशाओं को सीरप पैरासिटामॉल, सीरप एमॉक्सीलिन एवं जी वी पेन्ट भी प्रदान किया जायेगा। जिसका दिशा–निर्देश गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल सम्बन्धी दिशा–निर्देश में सम्मिलित किये गये हैं।

4.1 आशा ड्रग किट का उपयोग करने हेतु निर्देश–

4.1.1 आशा ड्रग किट दिये जाने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक आशा के पास हमेशा कम से कम एक माह का दवाओं का स्टॉक उपलब्ध रहे। दवाओं पर चिपके हुए लेबल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। अतः प्रयास यह होना चाहिए कि दवायें अलग–अलग रंग की थैलियों में उपलब्ध करायी जायें, जिससे कि आशाओं को औषधि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

4.1.2 **आशा संगिनी के द्वारा आशा ड्रग किट की नियमित रिफिलिंग की जायेगी–** प्रारम्भ में ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक आशा नोडल अधिकारी द्वारा उपरोक्त दी गयी मात्रा के अनुसार

अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओं की संख्या के आधार पर समस्त सामग्री ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केन्द्र के औषधि भण्डार से प्राप्त करेगा। तत्पश्चात् आशा संगिनी के सहयोग से अपने कार्यक्षेत्र की समस्त आशाओं को उपरोक्त सामग्री वितरित करेंगी।

4.1.3 आशाओं के क्लस्टर बैठक/क्षेत्रीय बैठक के दौरान आशायें अपनी ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका में उल्लेखित स्टॉक इन्ट्री के आधार पर सम्बन्धित आशा संगिनी को दवा/अन्य सामग्री उपयोग किये जाने की सूचना देगी। जिसे आशा संगिनी द्वारा निम्न निर्धारित प्रपत्र पर संकलित किया जायेगा।

क्र.स.	दवा/सामग्री	आशा 1 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	आशा 2 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	आशा .... द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	आशा .... .द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	क्षेत्र की सभी आशाओं द्वारा उपयोग की गयी कुल मात्रा
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डीडीके किट					
2	पैरासीटामॉल टैबलेट					
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां					
4	डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट					
5	जिंक टेबलेट					
6	ओआरएस के पैकट					
7	निश्चय किट					
8	कंडोम					
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)					
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली					
11	साबुन					
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)					
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब					
14	पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर					

4.1.4 तत्पश्चात् ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक आशा नोडल अधिकारी आशा संगिनी की रिपोर्ट के आधार पर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से औषधि प्राप्त करेगा एवं आशा संगिनी के सहयोग से सभी आशाओं को औषधि/अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगा। ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक आशा नोडल अधिकारी द्वारा उक्त दवा एवं सामग्री का स्टॉक एवं स्टॉक बुक ब्लॉक स्तरीय फर्मासिस्ट के निगरानी में रखा जायेगा।

4.1.5 रिफिलिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि यदि पहले से ड्रग किट में कोई दवा Expiry Date के निकट हो या Expire हो गयी हो तो उन्हें तत्काल बदल दिया जाय तथा इस बात का ध्यान रखा जाय कि ड्रग किट में दी जाने वाली दवाओं की Expiry Date कम से कम 1 वर्ष बाद की हो। आशा, ड्रग किट का रिकार्ड ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के भाग संख्या–17 में अंकित करेगी।

4.1.6 आशा को ड्रग किट में प्रदान की जाने वाली दवाओं का वितरण पत्र के साथ संलग्न है (संलग्नक–ट), जिसको प्रत्येक आशा मासिक बैठक में आशाओं को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित किया जाये।

5. आशा मेन्टोरिंग समूह

आशा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम को सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य एवं जनपद स्तरों पर आशा मेन्टोरिंग समूह का गठन किया गया है। मेन्टोरिंग समूह में सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। समूह का प्रमुख उद्देश्य आशा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मिशन निदेशक को निति, कार्यक्रम क्रियान्वयन, आशा का क्षमतावर्द्धन जैसे मुद्दों पर सलाह देना है। समूह के सदस्यों का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण करके आशा कार्यक्रम से सम्बन्धित फीडबैक एवं सुझाव प्रदान करते हैं जिससे की कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसकी बैठकें राज्य एवं जनपद स्तरों पर प्रत्येक त्रैमास में आयोजित की जाती हैं तथा जनपद स्तरीय बैठकों के फीडबैक एवं सुझावों को राज्य स्तर की बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं एवं फॉलोअप कार्यवाही में सम्मिलित किया जाता है।

जनपद स्तरीय आशा मेन्टोरिंग समूह के गठन एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आशा सपोर्ट/2008–09/5/11363–71 दिनांक 29 मई, 2009 एवं संशोधित दिशा–निर्देश पत्र संख्या प0क0/08–प्रशि0/आशा मेन्टोरिंग ग्रुप/2013–14/2042–75 दिनांक 14.08.2013 द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं, जिनका पालन सुनिश्चित किया जाये।

जिन जनपदों के कम्युनिटी प्रोसेस सम्बन्धित कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण हेतु रीजनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किये गये हैं, ऐसे जनपदों की आशा मेन्टोरिंग समूह बैठक में सम्बन्धित रीजनल कोऑर्डिनेटर को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित किया जाये। आशा मेन्टोरिंग समूह के सदस्यों को आशा सम्मेलन एवं आशा से सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।

6. **आशाओं एवं आशा संगिनियों को यूनिफार्म दिये जाने हेतु दिशा–निर्देश–** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2016–17 के एफ0एम0आर0 कोड सं0–B1.1.3.7.4 के अन्तर्गत आशा यूनीफार्म हेतु रु0 450/– प्रति आशा एवं आशा संगिनी की दर से अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का व्यय आशा एवं आशा संगिनी द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात उसके दिये बीजक (बिल) के अनुसार अधिकतम् रू0 450/– का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जायेगा।

6.1 आशाओं को यूनिफार्म के रूप में एक साड़ी दिये जाने हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है, जो पूर्व की भांती क्रीम रंग की प्लेन होगी एवं उसमें चॉकलेट रंग का बॉर्डर होगा।

आशा संगिनी हेतु एक साड़ी दिये जाने हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है, जो चॉकलेट रंग की प्लेन एवं उसमें क्रीम रंग का बॉर्डर होगा।

6.2 जिन आशाओं द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार–कुर्ता पहना जाता है, उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर क्रीम रंग का सलवार–कुर्ता एवं चॉकलेट दुपट्टा खरीदा जा सकता है। इसी प्रकार जिन आशा संगिनी द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार–कुर्ता पहना जाता है, उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर चॉकलेट रंग का सलवार–कुर्ता एवं क्रीम दुपट्टा खरीदा जा सकता है।

6.3 आशाओं/आशा संगिनी द्वारा यूनिफार्म खरीदनें के पश्चात यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रत्येक आशा/आशा संगिनी ने बतायें गये रंग के अनुसार साड़ी अथवा सलवार–कुर्ता एवं चॉकलेट दुपट्टा अवश्य खरीदा हो। प्रत्येक आशा, अपनी साड़ी अथवा सलवार–कुर्ता एवं दुपट्टा स्वयं खरीदेगी।

6.4 आशाओ द्वारा यूनिफार्म खरीदनें के पश्चात सत्यापन ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा, आशा संगिनी द्वारा यूनिफार्म खरीदनें के पश्चात सत्यापन बी.सी.पी.एम. द्वारा किया जायेगा।

6.5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उददेश्य से बी.सी.पी.एम. द्वारा प्रतिमाह होने वाली आशा बैठकों में प्रतिभाग कर आशाओं द्वारा यूनिफार्म हेतु साड़ियों अथवा सलवार–कुर्ता एवं दुपट्टा का क्रय व उपयोग को सुनिश्चित किये जाने हेतु जिम्मेदारी दी गयी है।

6.6 आशाओं की यूनिफार्म हेतु लक्षित आशाओं/आशा संगिनी के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। वर्तमान में कार्यरत् आशाओं/आशा संगिनी को ही यूनिफार्म हेतु धनराशि प्रदान की जानी है, शेष धनराशि डी0एच0एस0 में सुरक्षित रखी जायेगी तथा नवीन आशाओं /आशा संगिनी के चयन के

पश्चात उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार धनराशि आशाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

7. **आशाओं एवं आशा संगिनियों को रिचार्जेबल टार्च दिये जाने हेतु दिशा–निर्देश–** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्य योजना वर्ष 2016–17 के एफ0एम0आर0 कोड सं0 B1.1.3.6.9 के अन्तर्गत रिचार्जेबल टार्च हेतु रु0 262.20/– प्रति आशा एवं आशा संगिनी की दर से अनुमोदित किया गया है। रिचार्जेबल टार्च का दर अनुबंध महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 8फ/द0अनु0–682/1789–1809 दिनांक 4 मार्च, 2016 निर्गत किया जा चुका है।

उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न जनपदवार फांट के अनुसार धनराशि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर से जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।

S.I.	Districts	AMG Cost	Amount to be released for 9 months for Routine activities (4 month incentive for ASHAs those are yet to be placed)	ASHA Torch (NO. of ASHA +AF) @ Rs. 262.20	ASHA SAREE (TA/DA for Attending monthly meeting) No. of ASHA+AF @ Rs.450
FMR code		B1.1.5.4 A10.1.11.4	B1.1.3.6.1	B1.1.3.6.9	B1.1.3.7.4
	Total		1326220000	43780584	75138300
1	Agra	10000	23469000	763789	1310850
2	Aligarh	10000	24990000	776112	1332000
3	Allahabad	10000	35539000	1197205	2054700
4	Ambedkarnagar	10000	20448000	653402	1121400
5	Amethi	10000	18590000	611975	1050300
6	Amroha	10000	11866000	385434	661500
7	Auraiya	10000	10774000	345580	593100
8	Azamgarh	10000	36160000	1144503	1964250
9	Baghpat	10000	8622000	281865	483750
10	Bahraich	10000	26654000	865522	1485450
11	Ballia	10000	23946000	798923	1371150
12	Balrampur	10000	15861000	538559	924300
13	Banda	10000	12032000	415849	713700
14	Barabanki	10000	25642000	888596	1525050
15	Bareilly	10000	24152000	787911	1352250
16	Basti	10000	20237000	636884	1093050
17	Bijnour	10000	25225000	834320	1431900
18	Budaun	10000	21257000	700074	1201500
19	Bulandsahr	10000	19699000	630853	1082700
20	Chandauli	10000	16137000	533053	914850
21	Chitrakoot	10000	7168000	234669	402750
22	Deoria	10000	22930000	801021	1374750
23	Etah	10000	12798000	410081	703800
24	Etawah	10000	11058000	376781	646650

25	Faizabad	10000	22414000	697190	1196550
26	Farrukhabad	10000	11518000	412178	707400
27	Fatehpur	10000	16504000	630329	1081800
28	Firozabad	10000	14131000	455179	781200
29	GB Nagar	10000	6072000	214217	367650
30	Ghaziabad	10000	5242000	189308	324900
31	Ghazipur	10000	29772000	991378	1701450
32	Gonda	10000	26199000	868931	1491300
33	Gorakhpur	10000	29667000	978268	1678950
34	Hamirpur	10000	9706000	300743	516150
35	Hapur	10000	6023000	197437	338850
36	Hardoi	10000	29310000	967780	1660950
37	Hathras	10000	9748000	337451	579150
38	Jalaun	10000	11744000	374946	643500
39	Jaunpur	10000	33750000	1140832	1957950
40	Jhansi	10000	10700000	347415	596250
41	Kannauj	10000	12568000	410867	705150
42	Kanpur Dehat	10000	14695000	468027	803250
43	Kanpur Nagar	10000	14744000	461472	792000
44	Kasganj	10000	9750000	315689	541800
45	Kaushambhi	10000	14130000	453082	777600
46	Kushinagar	10000	27683000	927664	1592100
47	Lakhimpur Khiri	10000	31003000	972238	1668600
48	Lalitpur	10000	8363000	267968	459900
49	Lucknow	10000	13029000	425813	730800
50	Maharajganj	10000	22664000	725245	1244700
51	Mahoba	10000	6083000	191144	328050
52	Mainpuri	10000	12478000	428697	735750
53	Mathura	10000	15487000	488479	838350
54	Mau	10000	14739000	481924	827100
55	Meerut	10000	14372000	461472	792000
56	Mirzapur	10000	14697000	587066	1007550
57	Moradabad	10000	18697000	601749	1032750
58	Muzaffarnagar	10000	19163000	616170	1057500
59	Pilibhit	10000	10374000	391202	671400
60	Pratapgarh	10000	25839000	834583	1432350
61	Raebareli	10000	19850000	636884	1093050
62	Rampur	10000	14030000	467240	801900
63	Saharanpur	10000	22750000	732849	1257750
64	Sambhal	10000	14429000	484808	832050
65	Sant Kabir Nagar	10000	13709000	431581	740700
66	Sant Ravidas Nagar	10000	10710000	372324	639000
67	Shahjahanpur	10000	19283000	707416	1214100
68	Shamli	10000	7978000	268755	461250
72	Sravasti	10000	9751000	304414	522450

69	Siddharth Nagar	10000	20462000	656549	1126800
70	Sitapur	10000	32326000	1072136	1840050
71	Sonbhadra	10000	12257000	425551	730350
73	Sultanpur	10000	21134000	700074	1201500
74	Unnao	10000	21327000	721837	1238850
75	Varanasi	10000	17912000	571072	980100

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर शेष कमिटेड धनराशि को समायोजित करते हुए आशा ड्रग किट हेतु रू0 300/— आशा की दर से धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा रही है। इसी प्रकार आशा वाउचर, ब्लॉक आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर, आशा संगिनी प्रपत्र एवं ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर हेतु धनराशि जनपद स्तर पर शेष कमिटेड धनराशि को समायोजित करते हुए धनराशि निम्न तालिका अनुसार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर से जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।

S.No.	Districts	Replenishment of ASHA Drug Kit @300/ Working ASHA (Allocation for FY 2016-17)	Committed at district	Expenditure (FMR July'16)	Fund to be released
		A	B	C	D=A-(B-C)
		B16.2.5.2			
1	Agra	734700	0	0	734700
2	Aligarh	815400	812250	0	3150
3	Allahabad	1083300	1245735	0	0
4	Ambedkarnagar	657600	0	0	657600
5	Amethi	575400	514425	0	60975
6	Amroha	371400	404415	0	0
7	Auraiya	342600	360810	0	0
8	Azamgarh	1156800	0	0	1156800
9	Baghpat	270600	0	0	270600
10	Bahraich	833400	0	0	833400
11	Ballia	736200	0	0	736200
12	Balrampur	476700	564015	0	0
13	Banda	356400	0	0	356400
14	Barabanki	756600	928530	0	0
15	Bareilly	752400	0	0	752400
16	Basti	656700	0	0	656700
17	Bijnour	776700	874950	0	0
18	Budaun	660300	1769310	0	0
19	Bulandsahr	632100	0	0	632100
20	Chandauli	499500	556605	0	0
21	Chitrakoot	225600	0	0	225600
22	Deoria	672600	1527000	0	0
23	Etah	409800	0	0	409800
24	Etawah	334200	0	0	334200

25	Faizabad	731400	0	0	731400
26	Farrukhabad	331800	0	0	331800
27	Fatehpur	435600	658635	0	0
28	Firozabad	448500	474240	0	0
29	GB Nagar	177600	0	0	177600
30	Ghaziabad	149400	0	0	149400
31	Ghazipur	916800	1032555	0	0
32	Gonda	807300	1668010	0	0
33	Gorakhpur	915300	0	0	915300
34	Hamirpur	317400	314700	0	2700
35	Hapur	189300	160950	84819	113169
36	Hardoi	906600	1007613	0	0
37	Hathras	289200	309600	0	0
38	Jalaun	373200	356528	0	16672
39	Jaunpur	1030200	1154862	393204	268542
40	Jhansi	339600	329000	0	10600
41	Kannauj	396000	425220	0	0
42	Kanpur Dehat	473700	484500	0	0
43	Kanpur Nagar	480000	172813	0	307187
44	Kasganj	309000	0	0	309000
45	Kaushambhi	449400	95860	4760	358300
46	Kushinagar	846900	966720	0	0
47	Lakhimpur Khiri	1007700	1012320	0	0
48	Lalitpur	266100	0	0	266100
49	Lucknow	409500	0	0	409500
50	Maharajganj	720000	0	0	720000
51	Mahoba	197700	0	0	197700
52	Mainpuri	373800	445170	0	0
53	Mathura	500100	0	0	500100
54	Mau	464100	0	0	464100
55	Meerut	457200	481080	0	0
56	Mirzapur	366300	0	0	366300
57	Moradabad	589500	632130	0	0
58	Muzaffarnagar	605700	0	0	605700
59	Pilibhit	280200	0	0	280200
60	Pratapgarh	820500	38719	18854	800635
61	Raebareli	637800	0	0	637800
62	Rampur	432600	243060	0	189540
63	Saharanpur	718200	0	0	718200
64	Sambhal	439500	0	0	439500
65	Sant Kabir Nagar	441900	452010	0	0
66	Sant Ravidas Nagar	317400	386175	0	0
67	Shahjahanpur	533700	487766	0	45934
68	Shamli	243000	63100	0	179900
69	Sravasti	317700	317490	0	210

70	Siddharth Nagar	653400	466755	0	186645
71	Sitapur	993000	0	0	993000
72	Sonbhadra	363900	23345	0	340555
73	Sultanpur	654600	728000	0	0
74	Unnao	650100	324323	0	325777
75	Varanasi	574800	0		574800

S.No.	Districts	ASHA Payment Voucher, Payment Register and VHIR 1.@ Rs. 25/ASHA 2.@Rs.50/AF 3.@Rs.150/block for ASHa master payment register 4.@Rs.174.5/ASHA (Allocation for FY 2016-17)	Committed at district	Fund to be released	Fund to be released (Allahabad, Faizabad, Gonda, Sambhal & Siddharthnagar have not committed any amount but have done expenditure therefore no deduction of expenditure) (Kannauj & Lucknow have spent more than committed)
		A	B	C	D=A-(B-C)
		B1.1.3.7.2			
1	Agra	567397	0	0	567397
2	Aligarh	575875	0	0	575875
3	Allahabad	884765	0	23145	884765
4	Ambedkarnagar	480564	0	0	480564
5	Amethi	455025	0	0	455025
6	Amroha	286541	0	0	286541
7	Auraiya	256217	35300	0	220917
8	Azamgarh	852440	13100	0	839340
9	Baghpat	208336	0	0	208336
10	Bahraich	644205	0	0	644205
11	Ballia	591291	0	0	591291
12	Balrampur	399911	400900	349965	348976
13	Banda	308189	2350400	1026779	0
14	Barabanki	658771	657142	560376	562005
15	Bareilly	586499	0	0	586499
16	Basti	470839	0	0	470839
17	Bijnour	619715	103687	0	516028
18	Budaun	518919	71025	0	447894
19	Bulandsahr	465205	0	0	465205
20	Chandauli	394974	54175	0	340799
21	Chitrakoot	172874	0	0	172874
22	Deoria	593185	8000	0	585185

23	Etah	302454	0	0	302454
24	Etawah	278164	0	0	278164
25	Faizabad	516722	0	306100	516722
26	Farrukhabad	303452	256000	214200	261652
27	Fatehpur	467645	66375	0	401270
28	Firozabad	336918	46550	0	290368
29	GB Nagar	157761	0	0	157761
30	Ghaziabad	139556	124553	0	15003
31	Ghazipur	733089	84000	0	649089
32	Gonda	644407	0	61875	644407
33	Gorakhpur	728049	99000	0	629049
34	Hamirpur	223448	0	0	223448
35	Hapur	145442	0	0	145442
36	Hardoi	718125	90713	0	627412
37	Hathras	249584	34600	0	214984
38	Jalaun	279310	19370	0	259940
39	Jaunpur	840378	0	0	840378
40	Jhansi	255820	0	0	255820
41	Kannauj	302604	273575	1541800	0
42	Kanpur Dehat	344900	48250	0	296650
43	Kanpur Nagar	341557	0	0	341557
44	Kasganj	233175	0	0	233175
45	Kaushambhi	335770	0	0	335770
46	Kushinagar	686104	0	0	686104
47	Lakhimpur Khiri	718674	98910	0	619764
48	Lalitpur	198809	0	0	198809
49	Lucknow	314275	167600	1549750	0
50	Maharajganj	538667	0	0	538667
51	Mahoba	141252	17425	0	123827
52	Mainpuri	316619	11237	0	305382
53	Mathura	361956	0	0	361956
54	Mau	355025	0	0	355025
55	Meerut	342156	47600	0	294556
56	Mirzapur	434876	664854	0	0
57	Moradabad	447541	0	0	447541
58	Muzaffarnagar	457767	0	0	457767
59	Pilibhit	288837	0	0	288837
60	Pratapgarh	616330	86075	74250	604505
61	Raebareli	468748	77650	0	391098
62	Rampur	344898	0	0	344898
63	Saharanpur	544303	0	0	544303
64	Sambhal	359162	0	25550	359162
65	Sant Kabir Nagar	320757	0	0	320757
66	Sant Ravidas Nagar	274473	0	0	274473
67	Shahjahanpur	525402	468977	446684	503109

68	Shamli	198809	29817	0	168992
69	Sravasti	225343	193836	0	31507
70	Siddharth Nagar	485054	0	587800	485054
71	Sitapur	796928	109050	0	687878
72	Sonbhadra	313776	0	0	313776
73	Sultanpur	517572	71550	139850	0
74	Unnao	532189	192000	4868	345057
75	Varanasi	421509	0	0	421509

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 सत्यमित्र)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण

पत्रांकः **प0क0/08–प्रशि0/आ0यो0/दिशा–निर्देश/2016–17/** 3900-267 तद्दिनांक - 22-09-2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला लेखा प्रबन्धक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिये गये उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराना तथा व्यय विवरण राज्य स्तर पर समय से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0।

(डा0 सत्यमित्र)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण